राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1087/2025

सरोज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलानी, जिला झुन्झुनूं।
5. शीला कुमारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र भूकिया पीएचसी खाखला, ब्लॉक सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी एएनएम के पद पर पीएचसी घुमनसर, ब्लॉक चिडावा, जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र भूकिया पीएचसी खाखला, ब्लॉक सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया है। आलौच्य आदेश के संबंध में विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र भूकिया दर्शित है जबकि इस नाम का कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। उनका यह कथन है कि आलौच्य आदेश पंचायतीराज (हस्तान्तरित गतिविधियां) नियम 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है। मात्र निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से आलौच्य आदेश जारी किया गया है जो वर्तमान पदस्थापन से 550 कि.मी. दूर है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम सरोज अंकित है जबकि सही नाम सरोज देवी है (अनुलग्नक–4 एवं 5)। इस आधार पर आलौच्य आदेश को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता संजीव सिंघल की तरफ से निवेदन किया गया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। पदस्थापन स्थान को आलौच्य आदेश में सही कर दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र भूकिया दर्शित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा पदस्थान स्थान ''भूकिया'' को संशोधित कर ''फुकिया'' किया जा चुका है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम सरोज अंकित है जबकि अपीलार्थी का कथन है कि सही नाम सरोज देवी है। हम पाते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं संशोधित अपील भी सरोज के नाम से प्रस्तुत की है। शपथ पत्र भी सरोज के नाम से प्रस्तुत किए गये है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने स्वयं अपना नाम सरोज मान कर अपील प्रस्तुत की है। हम आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना या विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य